



HAPUR POLICE



प्रेस नोट

थाना - बहादुरगढ़

दिनांक 31.10.2025

थाना बहादुरगढ़ पुलिस ने थाना सिम्भावली के गैंगस्टर एक्ट के अभियोग में फरार/वांछित चल रहे 20,000/- रुपये के पुरस्कार घोषित अपराधी को किया गिरफ्तार।

कार्यवाही:-

हापुड़ पुलिस द्वारा जनपद में अपराध की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बहादुरगढ़ पुलिस द्वारा थाना सिम्भावली के मु0अ0सं0 120/2024 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट में फरार/वांछित चल रहे 20,000/- रुपये के पुरस्कार घोषित अपराधी को इण्डेन गैस एजेंसी ग्राम बहलोलपुर के पास से गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

कुलदीप उर्फ सोनू पुत्र संजय कुमार निवासी बहलोल सैक्टर 63 जनपद गौतमबुद्धनगर।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0 120/2024 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना सिम्भावली जनपद हापुड़।
2. मु0अ0सं0 283/2024 धारा 303(3), 317(2) बीएनएस थाना सिम्भावली जनपद हापुड़।
3. मु0अ0सं0 285/2024 धारा 318(4), 317(5), 345(3), 3(5) बीएनएस थाना सिम्भावली जनपद हापुड़।
4. मु0अ0सं0 94/2024 धारा 303(3), 317(2) बीएनएस थाना कोतवाली श्यामपुर जनपद हरिद्वार उत्तराखण्ड।
5. मु0अ0सं0 562/2021 धारा 188, 269, 270 भादवि थाना फैस 3 जनपद गौतमबुद्धनगर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 श्री हरिपाल सिंह थाना बहादुरगढ़ जनपद हापुड़।
2. है0का0 308 गजेन्द्र शर्मा थाना बहादुरगढ़ जनपद हापुड़।
3. का0 925 रजत थाना बहादुरगढ़ जनपद हापुड़।